कार्यवृत्त

मंगलवार, 01 पौष, शक संवत्, 1942

(दिनांक : 22 दिसम्बर, 2020)

खण्ड–58

अंक–2

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही मा0 सदस्य मा0 नेता प्रतिपक्ष, मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह, श्री करन माहरा, मो0 काजी निजामुद्दीन, श्री मनोज रावत, श्री आदेश सिंह चौहान, श्रीमती ममता राकेश एवं हाजी फुरकान अहमद द्वारा कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों के सम्बन्ध में नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचना को लिये जाने की मांग की गई।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल चलने दीजिये, नियम–310 की सूचनाओं को वे नियम–58 में ग्राह्यता पर सुन लेंगे। इस पर मा0 सदस्यों ने अपना स्थान ग्रहण किया।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये।

12 बजकर 10 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।

श्रीमती ममता राकेश ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि नियम 300 के अन्तर्गत दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को सूचना लगायी गयी थी, जिसका उत्तर समय से नहीं मिला है और बार–बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने अधिकारियों को सदन से ही निर्देशित किया कि उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 में प्राविधानित अवधि के भीतर ही उत्तर उपलब्ध करा दिया जाय और इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम 300 के अन्तर्गत 22 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, वे सभी सूचनाएं ध्यानाकर्षण के लिए स्वीकार कर रहे हैं :–

1.	श्री गोपाल सिंह रावत	स्वास्थ्य विभाग में मृतक स्व0 श्री कमलेश्वर प्रसाद गैरोला आश्रित पुत्र श्री आयुष गैरोला को सेवायोजित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गयी।)**
2.	श्री राजकुमार ठुकराल	उत्तराखण्ड राज्य में नजूल भूमि पर वर्षों से निवास कर रहे नागरिकों के हित में पुनः नजूल नीति बनाने व उन्हें दिल्ली की तर्ज पर मालिकाना हक देने के सन्दर्भ में। **(पढ़ी हुई मानी गयी।)**
3.	श्री प्रदीप बत्रा	उत्तराखण्ड राज्य के 18 अशासकीय महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा अनुदान न दिये जाने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गयी।)**
4.	श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी	विधान सभा कर्णप्रयाग में महिला बेस चिकित्सालय सिमली, जिला चमोली में स्टाफ के पद सृजन सम्बन्धी। **(पढ़ी हुई मानी गयी।)**
5.	श्री देशराज कर्णवाल	उत्तराखण्ड राज्य में पुलिस विभाग में अधिकारियों की तर्ज पर हेड कांस्टेबल व कांस्टेबलों को वर्दी भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गयी।)**

6.	श्री राम सिंह कैड़ा	उत्तराखण्ड राज्य सहित भीमताल विधान सभा के युवाओं को सिडकुल में 100% आरक्षण के आधार पर नौकरी देने के सन्दर्भ में। **(पढ़ी हुई मानी गयी।)**
7.	श्री कैलाश चन्द्र गहतोड़ी	उप खनिज भण्डारण हेतु आर0बी0एम0 व पत्थर स्टॉक भण्डारणकर्ताओं के यहाँ न होने से व्याप्त असंतोष की सूचना। **(पढ़ी हुई मानी गयी।)**
8.	श्री सहदेव सिंह पुण्डीर	विधान सभा सहसपुर क्षेत्र में पेयजल व सिंचाई की समस्या से सम्बन्धित। **(पढ़ी हुई मानी गयी।)**
9.	श्री नवीन चन्द्र दुमका	विधान सभा क्षेत्र लालकुँआ में सिंचाई नहर की सफाई से सम्बन्धित। **(पढ़ी हुई मानी गयी।)**
10.	श्री दीवान सिंह बिष्ट	विधान सभा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत भूमि की खरीद फरोख्त सम्बन्धी। **(पढ़ी हुई मानी गयी।)**
11.	श्री चन्दन राम दास	विधान सभा बागेश्वर में बेस अस्पताल के निर्माण से सम्बन्धित। **(पढ़ी हुई मानी गयी।)**
12.	श्री बिशन सिंह चुफाल	जनपद पिथौरागढ़ की नेपाल सीमा से लगी सड़क के डामरीकरण सम्बन्धी। **(पढ़ी हुई मानी गयी।)**
13.	श्री पुष्कर सिंह धामी	विधान सभा क्षेत्र खटीमा एवं उसके आस–पास के क्षेत्रों में आवारा पशुओं एवं जंगली जानवरों से हो रही फसलों को नुकसान से व्याप्त असंतोष की सूचना। **(पढ़ी हुई मानी गयी।)**
14.	श्री महेन्द्र भट्ट	जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्यों को मार्च, 2020 से मानदेय का भुगतान न होने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गयी।)**
15.	श्री आदेश सिंह चौहान	शासकीय विद्यालयों में भोजन माताओं को प्रदान किये जाने वाले न्यूनतम मानदेय के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गयी।)**
16.	श्री राजकुमार	वर्षों से दुर्गम/अतिदुर्गम विद्यालयों में कार्यरत प्रशिक्षित शिक्षा मित्रों के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गयी।)**
17.	श्री मनोज रावत	7वें वेतन आयोग के क्रम में 01.01.2016 से उनके पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को प्रथम किश्त प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गयी।)**
18.	श्री करन माहरा	एल0टी0 की नियुक्तियों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को 2 प्रतिशत आरक्षण एवं अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट न प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गयी।)**
19.	श्री राजेश शुक्ला	उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम हल्दी, पंतनगर के कर्मचारियों को वेतन भुगतान तथा निगम को सरकार द्वारा अनुदान दिलाये जाने सम्बन्धित। **(पढ़ी हुई मानी गयी।)**
20.	श्री फुरकान अहमद	सिंचाई विभाग में नलकूपों में सेवानिवृत्त ऑपरेटरों की नियत मानदेय पर नियुक्ति एवं किसानों हेतु सिंचाई शुल्क माफ किये जाने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गयी।)**
21.	श्रीमती ममता राकेश	पॉलिटैक्निक संविदा शिक्षकों को अकारण हटाए जाने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गयी।)**
22.	श्रीमती मुन्नी देवी शाह	विधान सभा क्षेत्र थराली में मिट्टी तेल का वितरण सरकारी गल्ले के माध्यम से करने हेतु। **(पढ़ी हुई मानी गयी।)**

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष, 2020 के द्वितीय सत्र में उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या–14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा।

सचिव, विधान सभा ने उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम 152(2) के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाये गये हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 को सदन के पटल पर रखा।

सचिव, विधान सभा ने उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम 152(2) के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाये गये उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 323(2) के अधीन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग का उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक) सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(4) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2018–19 का वार्षिक लेखा विवरण सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 के अधीन उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के वित्तीय वर्ष 2018–19 की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी।

सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति ने उत्तराखण्ड की चतुर्थ विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (वर्ष 2017–18) का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

सचिव, विधान सभा ने घोषित किया किः–

(1) महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का तेइसवाँ अधिनियम बन गया।

(2) उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन), विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का चौबीसवां अधिनियम बन गया।

(3) उत्तराखण्ड माल एवं सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का पच्चीसवां अधिनियम बन गया।

(4) उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का छब्बीसवां अधिनियम बन गया।

(5) उत्तराखण्ड पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का सत्ताईसवां अधिनियम बन गया।

(6) उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुविधा) विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का अठ्ठाईसवां अधिनियम बन गया।

(7) उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का उन्तीसवां अधिनियम बन गया।

(8) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते)) (संशोधन) विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का तीसवां अधिनियम बन गया।

(9) उत्तराखण्ड (जौनसार–बावर जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1956) (संशोधन) विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का इक्तीसवां अधिनियम बन गया।

(10) उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का बत्तीसवां अधिनियम बन गया।

(11) उत्तराखण्ड चार धाम देवास्थानम् प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का तैतीसवां अधिनियम बन गया।

(12) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का चौतीसवां अधिनियम बन गया।

श्री गोपाल सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज पुजारगांव पट्टी धनारी तहसील डुण्डा जनपद उत्तरकाशी में विज्ञान वर्ग व पद सृजन कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री किशोर भूषण सेमवाल पुत्र श्री सम्पूर्णानन्द सेमवाल, ग्राम व पो0 पुजारागांव धनारी, जनपद उत्तरकाशी एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री गोपाल सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री के अन्तर्गत पुजारगांव तोक पट्टी धनारी तहसील डुण्डा जनपद उत्तरकाशी में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री किशोर भूषण सेमवाल पुत्र श्री सम्पूर्णानन्द सेमवाल, ग्राम पुजारगांव, पो0 पुजारगांव धनारी, जनपद उत्तरकाशी एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री गोपाल सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री के अन्तर्गत पुजारगांव तोक पट्टी धनारी तहसील डुण्डा जनपद उत्तरकाशी में लिफ्ट सिंचाई योजना का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री सम्पूर्णानन्द सेमवाल पुत्र स्व0 श्री भागवत प्रसाद सेमवाल ग्राम पुजारगांव, पो0 पुजारगांव धनारी, जनपद उत्तरकाशी एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम छांगामाजरी पो0 हल्लूमाजरा में आन्तरिक गलियों में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री सुधीर पुत्र श्री रामपाल ग्राम छांगामाजरी पो0 हल्लूमाजरा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम रूहाली में अम्बेडकर पार्क के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में'' श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री फूल सिंह, ग्राम रूहालकी पो0 भगवानपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम हसनपुर मदनपुर पो0 खास में माँ वैष्णो देवी मंदिर का सौन्दर्यीकरण कराने के सम्बन्ध में'' श्री मनोज पुत्र श्री सत्यपाल, ग्राम हसनपुर मदनपुर, पो0 खास, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री सहदेव सिंह पुण्डीर, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के ग्राम शीशमबाड़ा के अन्तर्गत ट्रचिंग ग्राउण्ड के निर्माण से हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में'' श्री भगत सिंह पुत्र स्व0 श्री नत्थू सिंह, सेलाकुई, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री सहदेव सिंह पुण्डीर, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत श्री देव सुमन विश्वविद्यालय का अतिरिक्त परिसर एवं संघटक महाविद्यालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में'' श्री विनोद कुमार थापा पुत्र स्व0 श्री तुलाराम थापा, भाववाला, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री सहदेव सिंह पुण्डीर, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत आवारा पशुओं के कारण हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में'' श्री सोहन कुमार पुत्र श्री उदय सिंह, कण्डोली, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

विशेषाधिकार हनन के सम्बन्ध में मा0 उपाध्यक्ष, विधान सभा द्वारा जिलाधिकारी अल्मोड़ा के विरूद्ध दी गयी सूचना के सम्बन्ध में मा0 नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य मा0 सदस्यगण द्वारा कठोर कार्यवाही करने की मांग की गयी।

12 बजकर 52 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।

मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि इसका संज्ञान लिया जायेगा तथा उन्होंने यह भी अवगत कराया कि उनके द्वारा जिलाधिकारी को दूरभाष पर मा0 उपाध्यक्ष से सत्र समाप्ति के उपरान्त समय लेकर मिलने एवं खेद व्यक्त करने हेतु निर्देशित किया गया।

नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य मा0 सदस्यगण द्वारा सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने हेतु बार–बार अनुरोध किये जाने पर श्री अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय दिया गया कि निश्चित रूप से यह एक बहुत ही गम्भीर विषय है। मा0 मंत्री जी ने अब तक की गयी कार्यवाही से सदन को अवगत करा भी दिया है, शासन इसे गम्भीरता से ले और सम्बन्धित अधिकारी को मा0 मंत्री जी द्वारा नियमानुसार जो निर्देश दिये गये हैं, उसका पालन होना चाहिए, अन्यथा पीठ इसका संज्ञान लेगी।

काजी निजामुद्दीन, मा0 सदस्य उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा नियम 299 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 में आनलाईन एवं वर्चुअल सदन को परिभाषित करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया चूंकि कोरोना महामारी के मध्य सत्र हो रहा है जिसमें अन्य कक्षों को भी सत्र की कार्यवाही से वर्चुअली जोड़ा गया है। अतः उक्त के दृष्टिगत सभा मण्डप को परिभाषित करते हुए नियमावली में यथावश्यकता परिवर्तन किए जाएं।

मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम 315 में मा0 अध्यक्ष को दिये गये अधिकारों के सम्बन्ध में सदन को अवगत कराया।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि मा0 सदस्य काजी निजामुद्दीन द्वारा नियम 299 के अन्तर्गत प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में ऑनलाईन एवं वर्चुवल सदन को परिभाषित करने के सम्बन्ध में विषय उठाया गया है। यह वर्तमान परिस्थितियों में महत्वपूर्ण विषय है। माननीय सदस्य का सुझाव सकारात्मक है, परन्तु जिन विषयों के सम्बन्ध में नियमावली में विशेष रूप से प्राविधान नहीं है, उन्हें विनियमित करने का अधिकार अध्यक्ष को दिया गया है। उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम 312 के अनुसार ऐसे समस्त प्रश्नों को जिनकी इन नियमों में विशेष रूप से व्यवस्था नहीं की गयी है

और इन नियमों के सविस्तार कार्यान्वित करने से सम्बद्ध समस्त प्रश्नों का ऐसे ढंग से विनियमन किया जायेगा, जैसा कि अध्यक्ष समय–समय पर निदेश करें। गत सत्र के प्रारम्भ में पीठ से वर्चुअल सत्र की प्रक्रिया के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे, कि मैं घोषणा करता हूँ कि उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम 3 (ब) के अन्तर्गत उपरिवर्णित दीर्घायें, सभा कक्ष संख्या–107 एवं वीडियो कान्फ्रेन्सिंग स्टूडियो सभा मण्डप के अंग माने जायेंगे तथा सभा संचालन नियमावली एवं आनुषंगिक निदेशों से आच्छादित होंगे।

वर्चुअली जुड़ने वाले मा0 सदस्य सदन में उपस्थित माने जायेंगे। वर्चुअली जुड़ने वाले मा0 सदस्य जब सभा की कार्यवाही में प्रतिभाग करने हेतु कुछ बोलना चाहेंगे तो अपना हाथ खड़ा करेंगे, तब पीठासीन अधिकारी उनका नाम पुकारेंगे। बैकअप व्यवस्था के अन्तर्गत स्टूडियो में तकनीकी मदद के लिये उपस्थित एन0आई0सी0 अधिकारी ऑन लाइन मैसेंजर के माध्यम से सदस्य का नाम टाइप कर विधान सभा नोडल अधिकारी को भेजेंगे। इस दायित्व के निर्वहन के लिये सम्बन्धित अधिकारी को मात्र सत्र के उपवेशन की अवधि के लिये विधान सभा सचिवालय से सम्बद्ध माना जायेगा।

सम्मानित सदन अवगत है कि अत्यन्त चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सत्र का आयोजन हो रहा है। अतः मा0 सदस्यों को सदन की कार्यवाही में प्रतिभाग करते समय व्यवस्था सम्बन्धित कुछ कठिनाईयां उत्पन्न हो सकती है, परन्तु हमारे महान देश के पथ प्रदर्शक भारत के संविधान की भावना एवं अपरिहार्य अवश्यंभावी प्राविधानों का पालन करने के लिये आशा है कि सत्र के सफल संचालन के लिए सभा का सहयोग प्राप्त होगा। इस दौरान मैं मा0 सदस्यों से प्रक्रियात्मक अनुशासन एवं धैर्य की अपील करता हूँ। विधायिकाओं के कार्यकरण में नवीन तकनीक का उपयोग एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। इसी के साथ ही समय–समय पर आवश्यकतानुसार नियमों में संशोधन भी किया जाता रहा है।

मैं पुनः स्पष्ट करते हुए सम्मानित सदन को बताना चाहूँगा कि वर्चुअल सत्र के सम्बन्ध में परीक्षण करा कर यदि आवश्यकता होगी तो नियमों में परिवर्तन के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा। अतः तद्नुसार इस सूचना को वे अग्राहय करते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901) (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901) (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत श्री प्रीतम सिंह पंवार, डा0 इन्दिरा हृदयेश एवं श्री प्रीतम सिंह, मौ0 काजी निजामुद्दीन, श्रीमती ममता राकेश एवं फुरकान अहमद, श्री हरीश सिंह तथा श्री मनोज रावत की कुल 05 सूचना प्राप्त हुई हैं। वे इन सभी सूचनाओं को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 01 बजकर 35 मिनट पर भोजनावकाश के लिए 03:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

सदन की कार्यवाही 03:00 बजे श्री उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

नियम–310 की नियम–58 में परिवर्तित सूचना पर नेता प्रतिपक्ष, श्री प्रीतम सिंह, मा0 सदस्य, काजी निजामुद्दीन, श्री आदेश सिंह चौहान, श्री मनोज रावत

03 बजकर 44 मिनट पर मा0 अध्यक्ष पीठासीन हुए

हाजी फुरकान अहमद, ने विचार व्यक्त किए। कृषि मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

04 बजकर, 22 मिनट पर मा0 नेता प्रतिपक्ष एवं विपक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा सदन का बर्हिगमन किया गया।

प्रदेश में बेरोजगारी की भयावह स्थिति उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना पर मा0 नेता प्रतिपक्ष तथा मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार एवं श्री प्रीतम सिंह ने विचार व्यक्त किये।

मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

गन्ने की फसल के मौजूदा पैराई सत्र के लिए मूल्य घोषित न होना और गन्ने की फसल का गत वर्षों का भुगतान न होने के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना पर मा0 सदस्य काजी निजामुद्दीन, हाजी फुरकान अहमद, श्रीमती ममता राकेश ने विचार व्यक्त किये।

05 बजकर, 20 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए

संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री उपाध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला विधान सभा क्षेत्र में माह जून–जुलाई 2020 में आई आपदा के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना पर मा0 नेता प्रतिपक्ष तथा मा0 सदस्य श्री हरीश सिंह ने विचार व्यक्त किये।

संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश में अशासकीय महाविद्यालयों तथा विद्यालयों को मिलने वाले अनुदान को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना पर मा0 सदस्य श्री मनोज रावत ने विचार व्यक्त किये।

उच्च शिक्षा मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री उपाध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

वित्तीय वर्ष 2020–2021 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदानः–

(1) संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–03 मंत्रि–परिषद के अन्तर्गत रू0 **220000 हजार (बाईस करोड़)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–03 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(2) संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत रू0 **79288 हजार (सात करोड़ बयानवे लाख अठ्ठासी हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–04 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(3) संसदीय कार्य मंत्रीने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत रू0 **6595988 हजार (छः सौ उनसठ करोड़ उनसठ लाख अठ्ठासी हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–06 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(4) संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत रू0 **4708170 हजार (चार सौ सत्तर करोड़ इक्यासी लाख सत्तर हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(5) संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत रू0 **189118 हजार (अठारह करोड़ इक्यानवे लाख अठ्ठारह हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–10 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(6) शिक्षा मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत रू0 **3100699 हजार (तीन सौ दस करोड़ छः लाख निन्यानवे हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

06 बजकर, 36 मिनट पर मा0 अध्यक्ष पीठासीन हुए

(7) संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत रू0 **2118269 हजार (दो सौ ग्यारह करोड़ बयासी लाख उनहत्तर हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–12 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(8) संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत रू0 **5166588 हजार (पॉच सौ सोलह करोड़ पैंसठ लाख अठ्ठासी हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(9) संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–14 सूचना के अन्तर्गत रू0 **310000 हजार (इकतीस करोड़)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–14 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(10) समाज कल्याण मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनाएं के अन्तर्गत रू0 **1108441 हजार (एक सौ दस करोड़ चौरासी लाख इकतालीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–15 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(11) संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–16 श्रम और रोजगार के अन्तर्गत रू0 **1453654 हजार (एक सौ पैंतालीस करोड़ छत्तीस लाख चौवन हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–16 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(12) कृषि मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत रू0 **1393786 हजार (एक सौ उनतालीस करोड़ सैंतीस लाख छियासी हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–17 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(13) संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–18 सहकारिता के अन्तर्गत रू0 **293601 हजार (उनतीस करोड़ छतीस लाख एक हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–18 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(14) संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत रू0 **6197872 हजार (छः सौ उन्नीस करोड़ अठहतर लाख बहत्तर हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–19 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(15) सिंचाई मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत रू0 **04 हजार (चार हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(16) संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–21 ऊर्जा के अन्तर्गत रू0 **112750 हजार (ग्यारह करोड़ सत्ताईस लाख पचास हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–21 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(17) संसदीय कार्य मंत्रीने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत रू0 **2200002 हजार (दो सौ बीस करोड़ दो हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–22 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(18) संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–23 उद्योग के अन्तर्गत रू0 **366543 हजार (छत्तीस करोड़ पैंसठ लाख तैतालीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–23 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(19) परिवहन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–24 परिवहन के अन्तर्गत रू0 **905000 हजार (नब्बे करोड़ पचास लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–24 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(20) संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–25 खाद्य के अन्तर्गत रू0 **6501 हजार (पैंसठ लाख एक हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–25 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(21) पर्यटन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–26 पर्यटन के अन्तर्गत रू0 **01 हजार (एक हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(22) संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–27 वन के अन्तर्गत रू0 **310909 हजार (इकतीस करोड़ नौ लाख नौ हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–27 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(23) संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत रू0 **170692 हजार (सत्रह करोड़ छः लाख बानवे हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(24) संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–29 औद्यानिक विकास के अन्तर्गत रू0 **398167 हजार (उनतालीस करोड़ इक्यासी लाख सड़सठ हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(25) समाज कल्याण मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत रू0 **2690338 हजार (दो सौ उनहत्तर करोड़ तीन लाख अड़तीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(26) समाज कल्याण मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत रू0 **516725 हजार (इक्यावन करोड़ सड़सठ लाख पच्चीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड विनियोग (2020–2021 का अनुपूरक) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड विनियोग (2020–2021 का अनुपूरक) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित किया।

विधेयक की प्रतियां वितरित की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विनियोग (2020–2021 का अनुपूरक) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड–2, खण्ड–3, खण्ड–1, तथा अनुसूची, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विनियोग (2020–2021 का अनुपूरक) विधेयक, 2020 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–95 के संबंध में कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'', सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई पुलिस थानों में दर्ज होने वाले अपराधों पर माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के उपरान्त मुकदमों की अद्यतन स्थित दर्ज न किये जाने विषयक सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा पर विचार व्यक्त किये गये। संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त चर्चा समाप्त हुई।

दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–15 के संबंध में श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा उद्योग विभाग के शासनादेशों की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने विषयक सूचना पर, नियम–51 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा पर विचार व्यक्त किये गये। संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त चर्चा समाप्त हुई।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 में कुल 14 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से :–

मा0 सदस्य श्री राजेश शुक्ला की सूचना जो जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत पं0 गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एंव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर को पर्याप्तबजट दिलाये जाने के सम्बन्ध में है को नियम– 53 के अंतर्गत वक्तव्य के लिए तथा

मा0 सदस्य श्रीमती मुन्नी देवी शाह की सूचना जो विधान सभा थराली के विकास खण्ड देवाल के ग्राम पंचायत फल्दियागांव में दिनांक 08/08/2019 को आई भीषण आपदा के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

सदन की कार्यवाही 7 बजकर 8 मिनट पर अगले दिन 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

देहरादून :
दिनांक : 22 दिसम्बर, 2020

मुकेश सिंघल
सचिव (प्रभारी)
विधान सभा।

स्वीकृत,
प्रेम चन्द अग्रवाल
अध्यक्ष,
विधान सभा।